न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 24/अपील/2023 (GCMS No. 2023/87)	27.03.2023	29.01.2024

बद्रीलाल गोदपुत्र कल्याण जाति काछी,
निवासी ग्राम सीलोर, तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)

– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी, (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री शिव तोषनीवाल, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 1139 दिनांक 09.01.2002 ग्राम सीलोर से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण ग्राम सीलोर में विरिथत आराजी के खातेदार कल्याण आ. ग्यारसीलाल कौम काछी के फोत हो जाने पर उसकी वारिस मु0 खानीबाई बेवा कल्याण के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर कमांक 24/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2023/87 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सं. 429 रकबा 0.4999 हैक्टेयर ग्राम सीलोर, तहसील व जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में कल्याण आ. ग्यारसीलाल जाति काछी निवासी ग्राम सीलोर में खाते में दर्ज रेकार्ड थी, खातेदार कल्याण का देहावसान हो चुका है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2072 से 2075 की खाता संख्या नई 102 पुरानी 97 के अनुसार उक्त कृषि भूमि खानी बाई पत्नी स्व.कल्याण जाति काछी निवासी ग्राम सीलोर के खाते अंकित है। खातेदार खानीबाई का भी देहावसान हो गया है। अपीलांट स्व. कल्याण जी का गोदपुत्र है। स्वर्गीय कल्याण ने अपीलांट को बचपन में ही गोद ले लिया था और तब से ही अपीलांट ने पिता कल्याण की सेवा सुश्रुषा, सेवा बंदगी की थी। पिता की हैसियत से स्व.कल्याण जी ने ही अपीलांट की शिक्षा दीक्षा एवं शादी वगै. करवाई थी, अपीलांट ने पुत्र ही हैसियत से कल्याण के जीवनकाल में उनके साथ रहकर जीवनयापन किया था। खातेदार कल्याण ने अपने जीवनकाल में ही अपने खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमियों बाबत एक पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 22.10.1999 को अपीलांट बद्रीलाल एवं चतरू बाई के पक्ष में निष्पादित किया गया, उक्त पंजीकृत वसीयतनामें के आधार पर स्व. कल्याण द्वारा अपने गोदपुत्र अपीलांट के नाम जिन कृषि भूमियों की वसीयत की गई है, उनका इन्तकाल अपीलांट के नाम खुल चुका है। अपीलांट की गोदमाता खानी बाई का देहावसान होने के पश्चात दिनांक 22.2.23 को कृषि भूमि खसरा संख्या 429 की जमाबंदी की नकल निकलवाने पर पता चला कि उक्त भूमि केवल मात्र स्व0 खानी बाई के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसमें अपीलांट का नाम अंकित नहीं है। अपीलांट द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से राजस्व रेकार्ड का निरीक्षण किया गया तब इन्तकाल संख्या 1139 खोले जाने की जानकारी हुई। उक्त इंतकाल राजस्व अधिकारियों द्वारा खातेदार कल्याण के वैधानिक वारिसों की जांच किये बिना खानी बाई के साथ ही अपीलांट के नाम नहीं खोलकर भारी कानूनी भूल की है जिससे उक्त इंतकाल 1139 निरस्त होने योग्य है। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि की खातेदार खानी बाई का देहावसान हो जाने से गोदपुत्र अपीलांट ही उक्त कृषि का एकमात्र स्वामी हो गया है। इंतकाल की जानकारी के बाद दिनांक 01.03.23 को राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, नकल दिनांक 10.03.23 को प्राप्त हुई। इंतकाल की जानकारी तिथि से नकल मिलने तक का समय मुजरा करने पर अपील अन्तर्गत मध्य अवधि पेश है। यदि फिर भी विलम्ब माना जावें तो देरी कन्डोन फरमाई जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है। अभिभाषक अपीलांट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर कल्याण जी एवं खानी बाई का देहावसान हो जाने से गोदपुत्र अपीलांट के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकार करने का आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

A6/3

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत वसीयतनामें की छायाप्रति के अवलोकन से उक्त खसरा संख्या 429 अंकित नहीं होने से वादग्रस्त आराजी को खातेदार द्वारा अपीलांट को वसीयत करना नहीं पाया गया है। ऐसे में उक्त वसीयतनामें के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण को विधिविरूद्ध नही माना जा सकता है। गोदपुत्र के आधार पर नामान्तरकरण अपने पक्ष में दर्ज करवाये जाने हेतु अपीलांट को सक्षमस्तर पर कार्यवाही करनी चाहिए। परन्तु खातेदार खानीबाई की 20 वर्ष पूर्व मृत्यु हो जाने से विरासत का नामान्तरकरण उसके विधिक वारिसान के पक्ष में नियमानुसार दर्ज करवाया जाना भी आवश्यक है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 09.01.2002 की जानकारी दिनांक 28.02.23 को होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित किया है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम सीलोर, तहसील बून्दी में स्थित कृषि भूमि खसरा सं. 429 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा के खातेदार कल्याण आ. ग्यारसीलाल कौम काछी थे। खातेदार कल्याण के फोत हो जाने पर उसकी पत्नी खानी बाई के पक्ष में दिनांक 09.01.2002 को अपीलाधीन फोती नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांट को आपत्ति है कि खातेदार कल्याण ने अपीलांट को रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 22.10.1999 में अपना गोदपुत्र स्वीकार किया है तथा उसकी खातेदारी की कुछ कृषि भूमियां उक्त पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 22.10.1999 से अपीलांट को वसीयत की हुई है, खातेदार कल्याण के देहावसान के बाद उक्त वसीयतनामें के आधार पर वसीयत की गई कृषि भूमियों का नामान्तरकरण भी अपीलांट के पक्ष में खुल चुका है किन्तु खसरा सं. 429 का नामान्तरकरण केवलमात्र खानी बाई के पक्ष में ही खोला गया, जो अवैध होना बताते हुये उसे निरस्त किया जाकर खानी बाई के साथ गोदपुत्र अपीलांट के पक्ष में दर्ज करवाया जावे। जबकि पेरोकार सरकार द्वारा उक्त वसीयतनामें में खसरा सं. 429 अंकित नहीं होना बताया तथा अपीलांट के पक्ष में गोदनामा पत्रावली पर उपलब्ध होना नहीं बताते हुये मृतक खातेदार खानी बाई के विधिक वारिसान की जांच करवाई जाकर उनके पक्ष में फोती इंतकाल दर्ज करवाया जाना उचित माना है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

A6/4

यहां उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर अपीलांट के पक्ष में गोदनामा उपलब्ध नहीं होने एवं उक्त खसरा सं.429 वसीयतनामा दिनांक 22.10.1999 में अंकित नहीं होने से वसीयतनामें के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलांट का नाम दर्ज करवाये जाने का आदेश दिया जाना उचित नहीं है। परन्तु यहां इस तथ्य को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है कि वादग्रस्त आराजी ख.सं. 429 की खातेदार खानीबाई पत्नी कल्याण काछी की दिनांक 15.02.2003 को मृत्यु हो जाना पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र से प्रकट है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी संवत् 2076 के अनुसार अब तक भी उक्त आराजी खानी बाई पत्नी स्व.कल्याण काछी की खातेदारी में ही दर्ज चली आ रही है। चूंकि मृतक व्यक्ति से लगान आदि वसूल नहीं किया जा सकता है तथा उत्तराधिकार कभी अनुपस्थित नही रहता है। ऐसी स्थिति में विधिक प्रावधानों की पालना में वादग्रस्त कृषि भूमि पर मृतक खातेदार खानीबाई के स्थान पर उसके विधिक उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज क़रवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार बून्दी को आदेश दिये जाते है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 429 की खातेदार मु0 खानी बाई बेवा कल्याण कौम काछी निवासी ग्राम सीलोर के विधिक उत्तराधिकारियों की विस्तृत जांच कर, उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दस्तावेज/साक्ष्य आदि रेकार्ड पर लिये जाकर विधिसम्मत आदेश पारित किया जाकर नियमानुसार विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 29.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी